2025: CGHC: 48495

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 139 वर्ष 2019

1 – प्रदीप देवांगन, आत्मज मदनलाल देवांगन, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी संतोषी नगर चौक, बोरिया रोड, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001.

----आवेदक

विरुद्ध

1 – मेसर्स जय विजय टेक्सटाइल्स, पंजीकृत भागीदारी फर्म, थोक वस्त्र व्यापारी, मार्फत साझीदार शिवराज बेगानी, आत्मज मेघराज बेगानी, निवासी 21 इंडिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, थाना पंडरी, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001.

2 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001.

----अनावेदकगण

(वाद–शीर्षक प्रकरण सुचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु: श्री अखिलेश मिश्रा, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 1 हेतु: श्री अजय मिश्रा, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल
बोर्ड पर आदेश
22–09–2025

1. आवेदक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 एवं 401 के अंतर्गत वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण, विद्वान छठे अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 215 वर्ष 2018 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26–10–2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील को निरस्त कर दिया गया था और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 592 वर्ष 2011 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 25–06–2018 को पुष्ट किया गया था, जिसमें आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (संक्षेप में "एन.आई. एक्ट") की धारा 138 के अंतर्गत अपराध हेतु दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, अनावेदक क्रमांक 1/परिवादी द्वारा आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दाण्डिक प्रकरण संख्या 592 वर्ष 2011 संस्थित किया गया था, जिसमें आवेदक एक अभियुक्त था। परिवाद में यह अभिकथित है कि

अनावेदक क्रमांक 1/परिवादी कपड़ों का व्यवसाय करता है और आवेदक/अभियुक्त ने परिवादी से कपड़े खरीदे थे। इसके विक्रय प्रतिफल के बदले में, आवेदक/अभियुक्त ने ₹70,086/– का एक चेक जारी किया था, जो इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, लोहार चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर का था (चेक संख्या 202649, दिनांक 15–06–2006) और इसे परिवादी को सौंपा था। जब परिवादी ने उक्त चेक को भुगतान हेतु अपने बैंक खाते में जमा किया, तो अदाकर्ता बैंक द्वारा दिनांक 22–06–2006 को "आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोका गया" के आधार पर इसे अनादरित कर दिया गया। परिवादी ने दिनांक 04–07–2006 को आवेदक/अभियुक्त को एक विधिक मांग सूचना प्रेषित की, जिसे आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिनांक 17–07–2006 को लेने से इनकार कर दिया गया। तत्पश्चात, परिवादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दायर किया गया।

3. परिवाद दिनांक 19–09–2006 को पंजीकृत किया गया और आवेदक/अभियुक्त को समन जारी किए गए। दिनांक 30–05–2007 को आवेदक/अभियुक्त को अपराध के विवरण समझाए गए। परिवादी का साक्ष्य अंकित किया गया, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का कथन भी दर्ज किया गया, और अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में साक्षियों का परीक्षण भी कराया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 25–06–2018 को अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध हेतु दोषसिद्ध किया और उसे 'न्यायालय उठने तक' के कारावास तथा ₹95,000/– के प्रतिकर (मुआवजे) से दण्डित किया, जो परिवादी को देय है। भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से गुजरना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय दिनांक 25–06–2018 को अभियुक्त द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष दाण्डिक अपील संख्या 215 वर्ष 2018 में चुनौती दी गई थी, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–10–2018 के द्वारा निरस्त कर दिया। अतः यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

5. विद्वान आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि परिवादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि कोई विधिक रूप से वसूली योग्य ऋण विद्यमान है, और चेक उसके विरुद्ध किसी दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। अभियुक्त पर विधिक मांग सूचना की तामील नहीं की गई थी, और यह साबित करने का भार परिवादी पर है कि विधिक मांग सूचना अभियुक्त पर सम्यक रूप से तामील की गई थी। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि परिवादी दुकान

का कोई भी बिल या वाउचर प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिससे अभियुक्त द्वारा कपड़े खरीदे जाना बताया गया है। परिवादी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर पक्षकारों के बीच लेनदेन को साबित करने के अपने प्रारंभिक भार का निर्वहन करने में विफल रहा है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अभियुक्त के बचाव और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार न करके अनियमितता और अवैधता की है। किसी ठोस और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में, आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। पक्षकारों के बीच विवाद के कारण, आहरकर्ता/अभियुक्त द्वारा चेक का भुगतान रोक दिया गया था, और इसलिए, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध आकर्षित नहीं होता है। अतः, दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए, और विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए।

6. इसके विपरीत, अनावेदक क्रमांक 1/परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। परिवादी, जो चेक का सम्यक अनुक्रम धारक है, के पक्ष में सांविधिक उपधारणा है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्त को सही रूप से दोषसिद्ध और दण्डित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

8. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 परक्राम्य लिखतों के संबंध में उपधारणा का प्रावधान करती है जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, जो निम्नानुसार है:-

> "**118. परक्राम्य लिखतों के बारे में उपधारणाएं—** जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगी:—
> (क) **प्रतिफल के बारे में—** कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफल के लिए रची गई या लिखी गई थी, और यह कि प्रत्येक ऐसी लिखत, जब वह प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित की गई थी, तब वह प्रतिफल के लिए प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित की गई थी;
> (ख) **तारीख के बारे में—** कि तारीख वाली प्रत्येक परक्राम्य लिखत ऐसी तारीख पर रची गई या लिखी गई थी;

(ग) **प्रतिग्रहण के समय के बारे में—** कि प्रत्येक प्रतिगृहीत विनिमय–पत्र अपनी तारीख के पश्चात् और अपनी परिपक्वता के पूर्व युक्तियुक्त समय के भीतर प्रतिगृहीत किया गया था;

(घ) **अंतरण के समय के बारे में—** कि परक्राम्य लिखत का प्रत्येक अंतरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था;

(ङ) **पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में—** कि परक्राम्य लिखत पर दिखाई देने वाले पृष्ठांकन उसी क्रम में किए गए थे जिसमें वे उस पर दिखाई देते हैं;

(च) **स्टाम्पों के बारे में—** कि खोया हुआ वचन–पत्र, विनिमय–पत्र या चेक सम्यक रूप से स्टाम्पित था;

(छ) **कि धारक सम्यक अनुक्रम धारक है—** कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक अनुक्रम धारक है:

परंतु जहाँ लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से, या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से किसी अपराध या कपट के द्वारा प्राप्त की गई है, या उसके रचयिता या प्रतिगृहीता से किसी अपराध या कपट के द्वारा या अवैध प्रतिफल के लिए प्राप्त की गई है, वहाँ यह साबित करने का भार कि धारक सम्यक अनुक्रम धारक है, उसी पर होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 धारक के पक्ष में उपधारणा का प्रावधान करती है जो निम्नानुसार है:–

"**139. धारक के पक्ष में उपधारणा—** जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह उपधारित किया जाएगा कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या अंशतः निर्वहन के लिए प्राप्त किया है।"

10. जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी राशि के भुगतान हेतु अपने द्वारा संचालित खाते पर चेक आहरित किया जाता है और वह बैंक खाते में अपर्याप्त शेष होने के कारण या किसी अन्य कारण से, जैसे आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोका जाना, हस्ताक्षर का न मिलना, चेक की तिथि निकल जाना, शब्दों में अन्य विसंगतियां आदि के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने वाला माना जाएगा और दण्ड का भागी होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 यह प्रावधान करती है कि चेक को आहरित किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी

वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 04–11–2011 के माध्यम से 01–04–2012 से प्रभावी छह महीने की अवधि को घटाकर तीन महीने कर दिया गया है। बैंक से चेक के भुगतान रहित वापस होने के संबंध में परिवादी को सूचना प्राप्त होने के बाद, उसे ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक के आहरणकर्ता को लिखित में विधिक मांग सूचना देनी होती है और तब चेक के आहरणकर्ता को उक्त सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करना होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 अपराधों के संज्ञान का प्रावधान करती है, जो यह निर्धारित करती है कि न्यायालय परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक के खण्ड (ग) के अधीन कार्रवाई का आधार उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर आदाता या चेक के सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा लिखित में किए गए परिवाद पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध का संज्ञान ले सकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 9 सम्यक अनुक्रम धारक की परिभाषा देती है जो निम्नानुसार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 9. **"सम्यक अनुक्रम धारक"** —— "सम्यक अनुक्रम धारक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रतिफल के लिए किसी वचन–पत्र, विनिमय–पत्र या चेक का, यदि वह वाहक को देय है तो, कब्जाधारी बन गया है, या यदि वह आदेशानुसार देय है तो, उसका आदाता या पृष्ठांकिती बन गया है, और यह उस पर उल्लिखित राशि के देय होने से पूर्व तथा इस विश्वास का पर्याप्त कारण हुए बिना हुआ है कि जिस व्यक्ति से उसने अपना स्वत्व प्राप्त किया है, उसके स्वत्व में कोई त्रुटि विद्यमान थी।

11. परिवादी का मामला यह है कि अभियुक्त ने उसकी दुकान से कपड़े खरीदे थे, और उसके विक्रय प्रतिफल के बदले में, अभियुक्त द्वारा उसके पक्ष में संबंधित चेक जारी किया गया था। उसने अपनी फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी–1) और अभियुक्त के विरुद्ध बकाया राशि के संबंध में अपनी फर्म की खाता बही का उद्धरण (प्रदर्श पी–2) प्रस्तुत किया। परिवादी की खाता बही में अभियुक्त के विरुद्ध कुल ₹70,116/– की राशि बकाया दिखाई गई है, जिसमें से उसने परिवादी को ₹70,086/– का चेक जारी किया था। अ.सा.– 1, शिवराज बेगानी के प्रतिपरीक्षण में, अभियुक्त ने यह सुझाव दिया था कि उसने संबंधित चेक किसी सुभाष जैन को दिया था, जिससे अ.सा.– 1 ने इनकार किया है। यद्यपि, अ.सा.– 1 ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि जिस समय अभियुक्त द्वारा उसे चेक दिया गया था, उस समय खरीद–बिक्री का लेनदेन बंद हो गया था, तथापि, अभियुक्त इस बात से इनकार नहीं कर सका कि (उनके बीच) कभी कोई

लेनदेन नहीं हुआ था। अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष में श्री सुभाष जैन का परीक्षण नहीं कराया गया है ताकि यह माना जा सके कि संबंधित चेक वास्तव में श्री सुभाष जैन को दिया गया था। यहाँ तक कि प्रतिरक्षा साक्षी ब.सा.– 1 अजीत कुमार और ब.सा.– 2 प्रदीप देवांगन (अभियुक्त) ने भी कहा है कि चेक श्री सुभाष जैन को दिया गया था, लेकिन उनका परीक्षण नहीं कराया गया है। साक्ष्य में, ब.सा.– क्रमांक 1 ने भी यह स्वीकार किया है कि परिवादी और अभियुक्त के बीच कपड़ों की खरीद–बिक्री का लेनदेन हुआ था।

12. डी.के. चंदेल बनाम वोकहार्ट लिमिटेड एवं अन्य, (2020) 13 एस सी सी 471 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश के कंडिका 7 में यह निर्धारित किया है कि:–

> "7. जैसा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि चेक कीटनाशकों की खरीद के लिए अपीलार्थी द्वारा देय राशि के बदले जारी किया गया था। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही अवलोकन किया गया है, खाता बही/रोकड़ बही प्रस्तुत करना दीवानी न्यायालय में प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर दाण्डिक मामले में ऐसा होना आवश्यक नहीं हो सकता है। ऐसा चेक के धारक के पक्ष में की गई उपधारणा के कारण है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, हमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. पी. रसिया बनाम अब्दुल नाज़र एवं अन्य, 2022 एस सी सी ऑनलाइन एससी 1131 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त मामले में पारित आदेश के कंडिका 7 में यह निर्धारित किया गया है कि परिवादी के लिए लेनदेन की प्रकृति या धन के स्रोत को दिखाना आवश्यक नहीं है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

> "7. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि को पुष्ट करने वाले अपीलीय न्यायालय के निर्णय और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष तीन अलग–अलग पुनरीक्षण आवेदन दायर किए। आक्षेपित संयुक्त निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया है और अभियुक्त को इस आधार पर

दोषमुक्त कर दिया है कि परिवाद में, परिवादी ने लेनदेन की प्रकृति और धन के स्रोत का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा पर गौर करने में विफल रहा है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या अंशतः निर्वहन के लिए प्राप्त किया है। इसलिए, एक बार जब परिवादी द्वारा यह प्रारंभिक भार पूरा कर दिया जाता है कि चेक अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था और अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर तथा चेक जारी करने पर विवाद नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में (बचाव का) भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाएगा कि वह इसके विपरीत यह साबित करे कि चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के लिए नहीं था। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा एक सांविधिक उपधारणा है और तत्पश्चात, एक बार जब यह मान लिया जाता है कि चेक परिवादी/चेक के धारक के पक्ष में किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या अंशतः निर्वहन हेतु जारी किया गया है, तो उस स्थिति में इसके विपरीत सिद्ध करना अभियुक्त का उत्तरदायित्व है। उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पर विचार नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय यह समझने में भी विफल रहा है कि वह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था और नीचे के न्यायालयों द्वारा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. एम. अब्बास हाजी बनाम टी.एन. चन्नाकेशव, (2019) 9 एस सी सी 606 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यह अभियुक्त का दायित्व है कि वह स्पष्ट करे कि उसका चेक परिवादी के हाथों में कैसे पहुँचा, जिसमें निर्णय के कंडिका 6 में यह अवलोकन किया गया है कि:–

"6. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने उन सीमाओं का अतिक्रमण किया है जिनसे अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को उलटते समय दाण्डिक मामलों में बंधा होता है। अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाहियाँ अर्द्ध–दाण्डिक कार्यवाहियाँ हैं। वे सिद्धांत, जो

अन्य दाण्डिक मामलों में दोषमुक्ति पर लागू होते हैं, इन मामलों पर लागू नहीं हो सकते। जहाँ तक वर्तमान मामले का प्रश्न है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तीन कारणों के अतिरिक्त, हमारा यह मत है कि मूल अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि चेक के पन्ने परिवादी के हाथों में कैसे पहुँचे। यह तर्क दिया गया है कि परिवादी के प्रतिपरीक्षण में कुछ सुझाव दिए गए थे कि चूँकि परिवादी मूल अपीलार्थी के कार्यालय में आता–जाता रहता था, इसलिए उसकी वहाँ तक पहुँच थी। परिवादी ने केवल यह स्वीकार किया था कि वह मूल अपीलार्थी के कार्यालय गया था, लेकिन उसने अन्य सभी सुझावों से इनकार किया था। तत्पश्चात, यह मूल अपीलार्थी पर था कि वह मामले के अपने पक्ष को सिद्ध करे। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने मूल अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराने में सही निर्णय लिया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मोदी सीमेंट्स लिमिटेड बनाम कुचिल कुमार नंदी, (1998) 3 एस सी सी 249 के मामले में माननीय न्यायालय ने कंडिका 16 से 18 में यह निर्धारित किया है कि:–

"16. हम उपरोक्त तर्क में बहुत बल देखते हैं क्योंकि एक बार जब आहरणकर्ता द्वारा चेक जारी कर दिया जाता है, तो धारा 139 के तहत उपधारणा अवश्य लागू होनी चाहिए और केवल इसलिए कि आहरणकर्ता भुगतान रोकने के लिए आदाता या बैंक को सूचना जारी करता है, यह आदाता या चेक के सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को वर्जित नहीं करेगा। अध्याय XVII का उद्देश्य, जिसका शीर्षक "खातों में निधियों की अपर्याप्तता के कारण कतिपय चेकों के अनादरण के मामले में शास्तियों के बारे में" है और जिसमें धारा 138 से 142 शामिल हैं, बैंकिंग परिचालनों की प्रभावकारिता को बढ़ावा देना और चेक के माध्यम से व्यापार करने में विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। इसी कारण से हमारा यह सुविचारित मत है कि **इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**[1] के मामले में इस न्यायालय द्वारा कंडिका 6 में की गई यह टिप्पणी कि— "मान लीजिए कि आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक को चेक जारी करने के बाद और इसे भुनाने के लिए प्रस्तुत करने से पहले, उसे सूचना दी जाती है कि इसे भुनाने के

1 (1996) 2 एस सी सी 739

लिए प्रस्तुत न करें और फिर भी आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक भुगतान के लिए बैंक में चेक प्रस्तुत करता है और जब यह निर्देशों के आधार पर वापस कर दिया जाता है, तो धारा 138 आकर्षित नहीं होती है"— उस उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप नहीं है जिसके लिए उपरोक्त अध्याय को विधि की पुस्तक में लाया गया है।

17.उपरोक्त दृष्टिकोण को **के.के. सिद्धार्थन**[2] के मामले में संदर्भित किया गया था जैसा कि निर्णय के कंडिका 5 और 6 से स्पष्ट है। कंडिका 5 और 6 इस प्रकार हैं:–

"5. उपरोक्त के अतिरिक्त, यद्यपि उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने यह माना था कि "भुगतान रोकें" के निर्देश भी धारा 138 के दायरे में आएंगे, लेकिन कंडिका 6 में यह अवलोकन किया गया है कि यदि "चेक आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक को जारी किए जाने के बाद और इसे भुनाने के लिए प्रस्तुत करने से पहले, उसे सूचना दी जाती है कि इसे भुनाने के लिए प्रस्तुत न करें और फिर भी आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक भुगतान के लिए बैंक में चेक प्रस्तुत करता है और जब यह निर्देश पर वापस आता है, तो धारा 138 आकर्षित नहीं होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06. ऊपर वर्णित तथ्यों से... हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामले में चेक तब प्रस्तुत किए गए थे जब अपीलार्थी ने अपने बैंक को 'भुगतान रोकने' का निर्देश दे दिया था। हमने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यद्यपि परिवाद में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 10–10–1994 का चेक उसी तारीख को अनावेदक के बैंक, जो कि कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड है, के माध्यम से संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इंडियन ओवरसीज ब्रांच के उक्त पत्र से हमें पता चलता है कि चेक 15.10.1994 को समाशोधन में प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक को अधिवक्ता का नोटिस 4 अक्टूबर का था, जिसका उत्तर 12 तारीख को कोच्चि से दिया गया था, जो अनावेदक का स्थान है, जबकि अपीलार्थी की ओर से नोटिस जारी करने वाला अधिवक्ता त्रिशूर में था, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पहला चेक अपीलार्थी द्वारा जारी 'भुगतान रोकें' के निर्देश की

2 (1996) 6 एस सी सी 369

जानकारी अनावेदक को होने के बाद ही प्रस्तुत किया गया था।" (बल दिया गया है)

उपरोक्त अवलोकनों के साथ, अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद को रद्द कर दिया गया था।

18. हमारे सुविचारित मत में, इन दोनों रिपोर्ट किए गए निर्णयों में उपर्युक्त प्रतिपादन, अत्यंत सम्मान के साथ, अधिनियम की धारा 138 और 139 की भावना और उद्देश्य के विपरीत हैं। यदि हम इस प्रतिपादन को स्वीकार करते हैं, तो यह धारा 138 को एक मृत प्रावधान बना देगा, क्योंकि ऋण या दायित्व के विरुद्ध चेक जारी करने के तुरंत बाद बैंक को भुगतान रोकने का निर्देश देकर आहरकर्ता, इस तथ्य के बावजूद कि एक 'माना गया अपराध' कारित हुआ था, दण्डात्मक परिणामों से आसानी से छुटकारा पा सकता है। इसके अतिरिक्त, **इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (एस सी सी पृ. 742) के कंडिका 6 में निम्नलिखित अवलोकन:

"अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य परक्राम्य लिखत के आहरणकर्ता द्वारा अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखे बिना चेक जारी करने और आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक को उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने की बेईमानी को रोकना है। धारा 138 यह उपधारणा करती है कि यदि कोई बेईमानी से चेक जारी करता है तो वह अपराध करता है।"

(बल दिया गया है)

हमारी राय में, यह भी विधि को सही ढंग से प्रतिपादित नहीं करता है।”

16. लक्ष्मी डायकेम बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2012) 13 एस सी सी 375 के मामले में माननीय न्यायालय ने कंडिका 16 में यह निर्धारित किया है कि:–

“16. निर्णयों की उपरोक्त श्रृंखला यह मानने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत परिकल्पित दो आकस्मिकताओं (contingencies) की व्याख्या कठोरता से या शाब्दिक रूप से की जानी चाहिए। हम मगमा (Mgma) मामले [(2010) 11 एस सी सी 441] के निर्णय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 138 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "धनराशि... अपर्याप्त है"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक 'मूल श्रेणी' है और "खाता बंद", "भुगतान रोका गया", "आहरणकर्ता को संदर्भित" जैसे कारणों से अनादरण, उस मूल श्रेणी की केवल 'उप–श्रेणियाँ' हैं। जिस प्रकार खाता बंद होने के आधार पर चेक का अनादरण धारा 138 में उल्लिखित पहली आकस्मिकता के अंतर्गत आने वाला अनादरण है, उसी प्रकार "हस्ताक्षर मेल नहीं खाते" या "छवि नहीं मिली" के आधार पर अनादरण, जिसका तात्पर्य यह भी है कि नमूना हस्ताक्षर चेक पर हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं, अधिनियम की धारा 138 के अर्थ के भीतर अनादरण माना जाएगा:

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

17. विचाराधीन मामले में, उच्च न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में इस न्यायालय के **विनोद तन्ना** मामले [विनोद तन्ना बनाम ज़हेर सिद्दीकी, (2002) 7 एस सी सी 541] के निर्णय पर भरोसा किया। हमने उक्त निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है जो इस न्यायालय के **इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के निर्णय पर आधारित है। इस न्यायालय द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड...** (उपरोक्त) में व्यक्त किया गया यह विचार कि 'धारक को चेक प्रस्तुत न करने की सूचना जारी करने के बाद आहरणकर्ता द्वारा चेक का अनादरण धारा 138 को आकर्षित नहीं करेगा', विशेष रूप से **मोदी सीमेंट्स लिमिटेड** मामले [(1998) 3 एस सी सी 249] में उलट दिया गया है। इसका कुल प्रभाव यह है कि 'भुगतान रोक दिया गया है' के आधार पर अनादरण, चाहे ऐसा भुगतान रोकना आहरणकर्ता को सूचना दिए जाने के साथ हो या बिना सूचना के, और चाहे भुगतान रोकना इस आधार पर हो कि खाते में मौजूद राशि चेक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, धारा 138 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा।"

17. एच.एम.टी. वाचेस लिमिटेड बनाम एम.ए. अबीदा एवं अन्य, (2015) 11 एस सी सी 776 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 14 में यह निर्धारित किया है कि:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "14. अंत में, अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह धनराशि की अपर्याप्तता का मामला नहीं था, अतः परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध के तत्व नहीं बनते हैं। हम अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। इस संबंध में, यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि **पल्सिव टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य** [(2014) 13 एस सी सी 18] में, इस न्यायालय ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि बैंकर को जारी "भुगतान रोकें" (stop payment) का निर्देश अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु पर्याप्त हो सकता है। इससे पहले भी **मोदी सीमेंट्स लिमिटेड बनाम कुचिल कुमार नंदी** [(1998) 3 एस सी सी 249] में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि "भुगतान रोकें" निर्देश के कारण चेक अनादरित होता है, तो भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध आकर्षित होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. आवेदक/अभियुक्त का अगला तर्क यह है कि उसे विधिक मांग सूचना की तामील नहीं हुई थी, और इसलिए, परिवादी के पक्ष में कोई वादहेतु उत्पन्न नहीं हुआ था। वर्तमान मामले में, परिवादी ने यह अभिकथित किया है कि संबंधित चेक दिनांक 22–06–2006 को अदाकर्ता बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया था, और उसने दिनांक 04–07–2006 को पंजीकृत ए.डी. डाक के माध्यम से अभियुक्त को विधिक मांग सूचना प्रेषित की थी। उसने विधिक मांग सूचना की प्रति (प्रदर्श पी–6), उसकी डाक रसीद (प्रदर्श पी–7), और वह लिफाफा जिसे अभियुक्त द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया था (प्रदर्श पी–8), प्रस्तुत किया है; जिस पर डाक विभाग का यह पृष्ठांकन है कि सूचना दिए जाने के बावजूद उसने इसे प्राप्त नहीं किया और इसे वापस कर दिया गया।

19. कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि परिवादी को अभियुक्त पर सूचना की तामील प्रत्यक्षतः सिद्ध करनी होगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केवल यह प्रावधान किया गया है कि चेक के आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक को चेक के आहरणकर्ता को लिखित रूप में सूचना देकर मांग करनी होगी। यहाँ केवल 'लिखित सूचना देना' प्रावधानित है। वर्तमान मामले में, विधिक मांग सूचना की प्रति (प्रदर्श पी–6),

उसकी डाक रसीद (प्रदर्श पी–7) और अभियुक्त द्वारा अस्वीकृत लिफाफे (प्रदर्श पी–8) के माध्यम से परिवादी द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि उसने अभियुक्त को लिखित सूचना दी और इसे पंजीकृत ए.डी. डाक के माध्यम से भेजा। साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 डाक द्वारा तामील का अर्थ स्पष्ट करती है, जो निम्नानुसार है:–

> **"27. डाक द्वारा तामील का अर्थ—** जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाया गया कोई भी केंद्रीय अधिनियम या विनियम डाक द्वारा किसी दस्तावेज़ की तामील प्राधिकृत करता है या उसकी अपेक्षा करता है, चाहे 'तामील' शब्द का प्रयोग किया गया हो या 'देना' या 'भेजना' या किसी अन्य अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया हो, तो जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, तामील को दस्तावेज़ वाले पत्र को उचित रूप से संबोधित करके, पूर्व–भुगतान करके और पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट करके प्रभावी माना जाएगा, और जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, उस समय पर तामील माना जाएगा जिस समय पत्र डाक के सामान्य अनुक्रम में वितरित किया जाता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. यदि परिवादी ने अभियुक्त के सही पते पर पंजीकृत ए.डी. डाक के माध्यम से लिखित सूचना भेजी है, तो यह उपधारित किया जाएगा कि इसकी तामील उस पर हो चुकी है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए। दस्तावेज़ प्रदर्श पी–6 और प्रदर्श पी–7 से जब परिवादी द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि उसने आवेदक/अभियुक्त के सही पते पर विधिक मांग सूचना भेजी थी, तो यह भार आवेदक/अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह यह सिद्ध करे कि उसे परिवादी द्वारा भेजी गई कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

21. उपर्युक्त विवेचना को देखते हुए, परिवादी का मामला किसी भी दोष या अवैधता से ग्रसित नहीं है क्योंकि परिवादी ने आवेदक/अभियुक्त के पते पर पंजीकृत ए.डी. डाक द्वारा सूचना भेजकर विधिक मांग सूचना की सम्यक तामील की है।

22. अजीत सीड्स लिमिटेड बनाम के. गोपाला कृष्णैया, (2014) 12 एस सी सी 685 के मामले में, जिसके कंडिका 9 और 10 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि:–

> "9. इस न्यायालय ने तब साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 और साधारण खण्ड अधिनियम (GC Act) की धारा 27 के

तहत उपधारणाओं की प्रकृति को स्पष्ट किया और यह बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत सूचना की तामील के प्रश्न पर विचार करते समय इन दो उपधारणाओं का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। संबंधित पैराग्राफ इस प्रकार हैं: (सी.सी. अलवी हाजी मामला (2007) 6 एस सी सी 555)

"13. अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, उसके तहत दिए गए दृष्टांत (f) के साथ पढ़ने पर, जब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में यह संभावित है कि कोई घटना घटेगी, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि वह घटना घटी होगी, जब तक कि किसी विशिष्ट मामले में ऐसी परिस्थितियाँ न हों जो यह दिखाएँ कि व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार, धारा 114 न्यायालय को किसी भी ऐसे तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा करने में सक्षम बनाती है जिसे वह घटित होना संभावित मानता है, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य अनुक्रम, मानवीय आचरण और सार्वजनिक तथा निजी व्यवसाय के विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में ध्यान रखा जाता है। परिणामस्वरूप, न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि विशेष मामलों में व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम का पालन किया गया है। जब इसे डाक द्वारा भेजे गए संचारों पर लागू किया जाता है, तो धारा 114 न्यायालय को यह उपधारणा करने में सक्षम बनाती है कि प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में, संचार प्राप्तकर्ता के पते पर वितरित कर दिया गया होगा। लेकिन साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 27 के तहत जो उपधारणा की जाती है, वह कहीं अधिक सुदृढ़ उपधारणा है। इसके अलावा, जहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 एक सामान्य उपधारणा को संदर्भित करती है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वहीं धारा 27 एक विशिष्ट उपधारणा को संदर्भित करती है। तत्काल संदर्भ के लिए, साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 27 नीचे उद्धृत है:"

'27. **डाक द्वारा तामील का अर्थ—** जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाया गया कोई भी केंद्रीय अधिनियम या विनियम डाक द्वारा किसी दस्तावेज़ की तामील प्राधिकृत करता है या उसकी अपेक्षा करता है, चाहे "तामील" शब्द का प्रयोग किया गया हो या "देना" या "भेजना" या किसी अन्य अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया हो, तो जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, तामील को दस्तावेज़ वाले पत्र को उचित रूप से संबोधित करके, पूर्व–भुगतान करके और पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट करके प्रभावी माना जाएगा, और जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, उस समय पर तामील हुआ माना जाएगा जिस समय पत्र डाक के सामान्य अनुक्रम में वितरित किया जाता।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. धारा 27 इस उपधारणा को जन्म देती है कि सूचना की तामील प्रभावी हो गई है जब इसे पंजीकृत डाक द्वारा सही पते पर भेजा जाता है। उक्त उपधारणा को देखते हुए, जब यह कहा जाता है कि आहरणकर्ता के पते पर पंजीकृत डाक से सूचना भेजी गई है, तो परिवाद में आगे यह अभिकथित करना अनावश्यक है कि सूचना के बिना तामील वापस आने के बावजूद, इसे तामील हुआ माना जाए या यह कि प्राप्तकर्ता को सूचना का ज्ञान माना जाए। जब तक प्राप्तकर्ता द्वारा इसके विपरीत सिद्ध नहीं कर दिया जाता, सूचना की तामील उस समय प्रभावी मानी जाती है जिस समय पत्र व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में वितरित किया गया होता। इस न्यायालय ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि जब कोई सूचना पंजीकृत डाक से भेजी जाती है और वह डाक पृष्ठांकन जैसे 'लड़ने से इनकार' या 'घर में उपलब्ध नहीं' या 'घर में ताला बंद' या 'दुकान बंद' या 'प्राप्तकर्ता स्टेशन पर नहीं है' के साथ वापस आती है, तो सम्यक तामील की उपधारणा की जानी चाहिए। (देखें: जगदीश सिंह बनाम नत्थू सिंह (1992) 1 एस सी सी 647, मध्य प्रदेश राज्य बनाम

हीरालाल (1996) 7 एस सी सी 523 और वी. राजा कुमारी बनाम पी. सुब्बारामा नायडू (2004) 8 एस सी सी 774)। अतः, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 27 के तहत उपलब्ध उपधारणा को देखते हुए, अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद में यह अभिकथित करना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त द्वारा सूचना की तामील से बचा गया या सूचना के बिना तामील वापस आने में अभियुक्त की कोई भूमिका थी।"

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 न्यायालय को यह उपधारणा करने में सक्षम बनाती है कि प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में, संसूचना प्राप्तकर्ता के पते पर वितरित कर दी गई होगी। साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 27 इस उपधारणा को जन्म देती है कि जब सूचना सही पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जाती है, तो तामील प्रभावी हो गई है। परिवाद में यह अभिकथित करना आवश्यक नहीं है कि सूचना के बिना तामील वापस आने के बावजूद, इसे तामील हुआ माना जाए या प्राप्तकर्ता को सूचना का ज्ञान माना जाए। जब तक प्राप्तकर्ता द्वारा इसके विपरीत सिद्ध नहीं किया जाता, सूचना की तामील उस समय प्रभावी मानी जाती है जिस समय पत्र व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में वितरित किया गया होता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. एन. परमेश्वरन उन्नी बनाम जी. कन्नन एवं अन्य, (2017) 5 एस सी सी 737 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 11, 12, 13, 14 और 15 में यह निर्धारित किया है कि:–

"11. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का मात्र पठन यह संकेत देता है कि धारा 138 का तात्पर्य उन बेईमान चेक आहरकर्ताओं को रोकना और दण्डित करना है जो अपने दायित्व से बचते हैं और उससे कतराते हैं। जैसा कि परन्तुक के खण्ड (ख) में स्पष्ट किया गया है, चेक के आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक के लिए यह आवश्यक है कि वह बैंक से अनादरण की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर चेक के आहरणकर्ता को लिखित सूचना तामील करे।

12.परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के खण्ड (ग) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि यह चेक के आहरणकर्ता को आदाता द्वारा भेजी गई ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने का

अवसर प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि खण्ड (ग) प्रदान करने का उद्देश्य अनावश्यक कठिनाई से बचाना है। यदि आहरणकर्ता खण्ड (ग) के तहत प्रदान किए गए अनुसार ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो आहरणकर्ता को अधिनियम के तहत अपराध करने वाला माना जाएगा और उसके पश्चात आदाता अधिनियम की धारा 142 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आहरणकर्ता के विरुद्ध परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

13. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 से यह स्पष्ट है कि एक बार जब चेक के आहरणकर्ता को सही पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेज दी जाती है, तो सूचना की तामील प्रभावी हुई मानी जाती है। यदि सूचना निर्धारित रीति से भेजी गई है, तो धारा 138 के परन्तुक (ख) के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन माना जाएगा। हालाँकि, आहरणकर्ता इस उपधारणा का खण्डन करने के लिए स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह सुस्थापित है कि किसी संविधि का निर्वचन उस उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए जिसे अभीष्ट विधान प्राप्त करना चाहता है।

"कानूनों के निर्वचन का यह एक मान्यता प्राप्त नियम है कि उनमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को सामान्यतः उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे संविधि के उद्देश्य के साथ सर्वोत्तम सामंजस्य बिठाती हों, और जो विधायिका के उद्देश्य को प्रभावी बनाती हों। यदि कोई अभिव्यक्ति संकीर्ण या तकनीकी अर्थ के साथ–साथ लोकप्रिय अर्थ के लिए भी सुग्राह्य हो, तो न्यायालय यह मानने में न्यायसंगत होगा कि विधायिका ने उस अभिव्यक्ति का उपयोग उस अर्थ में किया है जो उसके उद्देश्य को पूरा करेगा और उसे अस्वीकार कर देगा जो उसकी शक्ति के प्रयोग को अमान्य बनाता है" [न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सी.एस.टी., ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1207]।

15. इस न्यायालय ने मामलों की एक लंबी श्रृंखला में यह निर्धारित किया है कि जब कोई सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है और वह डाक पृष्ठांकन जैसे "अस्वीकार" या "घर में उपलब्ध नहीं" या "घर में ताला बंद" या "दुकान बंद" या "प्राप्तकर्ता स्टेशन पर नहीं है" के साथ वापस आती

है, तो सम्यक तामील की उपधारणा की जानी चाहिए [जगदीश सिंह बनाम नत्थू सिंह, (1992) 1 एस सी सी 647; मध्य प्रदेश राज्य बनाम हीरालाल, (1996) 7 एस सी सी 523 और वी. राजा कुमारी बनाम पी. सुब्बारामा नायडू, (2004) 8 एस सी सी 774]। यद्यपि निर्वचन की प्रक्रिया में एक ईमानदार ऋणदाता के अधिकार को विफल नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस मामले में हुआ है। प्रासंगिक धाराओं के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक के आहरणकर्ता को स्मरण सूचना भेजने पर कोई रोक नहीं है और आमतौर पर ऐसी सूचना को अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना की तामील न होने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि इस मामले में हुआ है।"

24. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य और परिवाद ज्ञापन के परिशीलन से, तथा विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिशीलन से, यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान विचारण न्यायालय और साथ ही अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किया है और आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दण्डित करते हुए सही निर्णय पारित किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं पाता है। तदनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

26. विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के अभिलेख, इस निर्णय की एक प्रति के साथ संबंधित विद्वान न्यायालयों को वापस भेजे जाएंगे।

हस्ता./–

रवींद्र कुमार अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur